



क्रोध यमराज है -चाणक्य

# हत्या का मुकदमा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार सवार को पुलिस द्वारा गोली मारने की घटना हमें एक साथ कई बातें सोचने को बाध्य करती है। गोली चलाने वाले सिपाही ने पहले कहा कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई और बाद में उसका बयान है कि रिवॉल्वर में गोली भरी होने के कारण चल गया वह चलाना नहीं चाहता था। इन दो प्रकार के बयानों का अर्थ ही है कि मामले में गड़बड़ी है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने दोनों सिपाहियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। किंतु पूरी घटना को समझने के बाद इस प्रश्न का तार्किक उत्तर नहीं मिलता कि अपिछर सीधे फ्रंट से गाड़ी चला रहे एप्ल के सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली क्यों मारी गई? अगर पुलिस गाड़ी रोकना चाहती थी और वो नहीं रुके तो टायर में गोली मारी जा सकती थी, ट्रैफिक को त्वरित सूचना देकर बैरिकेडिंग लगावाई जा सकती थी.. पीछा किया जा सकता था..। इससे प्रदेश की पुलिस पश्चाली सवालों के धेरे में आ गई है। प्रदेश से अपराधियों का नाश करने के लिए जिस पुलिस को मुठभेड़ की स्वायत्ता दी गई है, उसके सिपाही इन्हें गैर जिम्मेवार हों कि एक मनुष्य की जिंदगी की कीमत न समझें तो फिर यकीन करना मुश्किल है कि मुठभेड़ के नाम पर जितनी मौतें हुई हैं, सभी में कानून का पालन किया ही गया होगा। इन दो पुलिस वालों का पूरा व्यवहार पुलिस का कम अपराधी का ज्यादा लगता है। मिनट में बिना किसी कारण के एक निरपराध व्यक्ति का पूरा हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया। जांच चाहे पुलिस करे या सीबीआई इससे परिवार की खुशियां वापस नहीं आ सकतीं। हालांकि मृतक के परिवार, दोस्तों एवं आम जनता के तेवर को देखते हुए मुआवजे से लेकर एक नौकरी तक का वायदा आदित्यनाथ योगी सरकार ने कर दिया है। यह आवश्यक भी था, क्योंकि पुलिस अगर हत्या करे तो उस परिवार के भरण-पोषण का दायित्व सरकार को लेना ही चाहिए। इस भयावह घटना से सबक लेकर प्रदेश पुलिस प्रशासन जिले-जिले में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके पुलिसकर्मियों को बताए कि कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हुए कैसे निपटा जा सकता है? साथ ही सभी पुलिसवालों का रिकॉर्ड खंगाला जाए जिससे संदिग्धों की छंटनी हो सके। उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों पर राजनीतिक नजरिए से पुलिस भर्ती का आरोप लगा था, जिसमें काफी सच्चाई थी। इसलिए प्रदेश की पुलिस की सफाई आवश्यक है।

## “आतंकी रक्षपात”

देश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा के वार्षिक अधिवेशन में एक साथ भारत की विकास नीति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेवारी, विश्वदृष्टि, वैदेशिक संबंधों, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष..आदि के बीच संतुलन बताते हुए जिस तरह अपनी बात रखी वह हर दृष्टि से प्रशंसनीय है। उन्होंने भाषण के माध्यम से यह संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति कभी भी एक राष्ट्र के रूप में हमें संकुचित नहीं बनाता। हम वसुधैव कुटुम्बकम के आचारण बाले देश हैं, जिसका अर्थ है कि सम्पूर्ण वसुधा पर बसने वाले हमारे परिवार के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन ऐसा अवसर होता है, जब दुनिया के देश अपने साथी देश को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए भारत को उसके उदार चरित्र के रूप में पेश किया जाना आवश्यक होता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि जो तात्कालिक सवाल हमारे व्यवहार के संदर्भ में उठते हैं, उनका उत्तर नहीं दिया जाता। सुषमा ने पाकिस्तान से रिश्ता एवं वार्ता प्रक्रिया पर भारत का मत स्पष्ट करते हुए साफ़ कर दिया कि जब तक आतंकवाद पर सकारात्मक रखेंया नहीं दिखेगा बातचीत का आधार बन ही नहीं सकता। उन्होंने पाकिस्तान के इस झूठ को भी अनावृत कर दिया कि भारत वार्ता प्रक्रिया को बाधित करता है। यह सवाल करके कि हत्याओं को महिमामंडित करने वाले देश के साथ “आतंकी रक्खपात” के बीच कैसे वार्ता की जा सकती है; सुषमा ने विश्व नेताओं को ही सोचने को विश्व किया कि आप हमारी जगह होते तो क्या करते? 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के मुख्य खलनायक ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान से मिलने की चर्चा करके उन्होंने पाकिस्तान के चरित्र को नंगा करने की रणनीति अपनाई, जो विश्व मंचों पर बात तो आतंकवाद के विरोध की करता है लेकिन व्यवहार में आतंकवादियों को अपने यहां पालता-पोसता है। भारत की नीति ही है कि बातचीत जटिल विवादों को हल करने का एकमात्र तरक्कसंगत माध्यम है। किंतु एक ओर बातचीत का आग्रह और दूसरी ओर भारतीय जवानों का अपहरण कर उनकी बेरहमी से हत्या संबंध सुधारने का व्यवहार तो नहीं हो सकता। सुषमा के संयत और तार्किक भाषण से दुनिया को संदेश मिल गया होगा कि वार्ता और सामान्य संबंध के आड़े पाकिस्तान की आतंकवाद प्रायोजित करने की नीति है।

सत्संग

## चेतना को विकसित

नवीय विकास का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना हो, तो यह मानकर नहीं चला जा सकता कि मनुष्य शरीर पाने तक ही उसकी अंतिम परिधि है। उसे विकासोन्मुख होने के लिए शरीरगत जीवन-यापन को भी सब कुछ न मानकर अपनी सत्ता चेतना के साथ जोड़नी पड़ेगी, जो इस ब्रह्मण्ड पर अनुशासन करती और अंतराल को सुविकसित, स्वच्छ बना लेने वालों पर अपनी उच्चस्तरीय अनुकंपा बरसाती है। साथ ही मनुष्य को इस प्रकार का चिंतन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि उसके अंतराल में अति महत्वपूर्ण क्षमताओं का भी भंडार भरा पड़ा है, जिसे थोड़ा विकसित कर लेने पर वह काया की दृष्टि से यथावत रहते हुए भी व्यक्तित्व की दृष्टि से महानतम बन सकता है। इस अध्यात्म विकास के तत्त्वज्ञान के अनुरूप चेतना को विकसित, परिष्कृत, समर्थ, विलक्षण बनाने का द्वारा मनुष्य शरीर मिलने के बाद खुलता है।

इससे पूर्व तो वह मात्र जीवधारी ही बनकर रहता है। यह दूसरी बात है कि वह उस अनुदान का कितनी बुद्धिमत्ता के साथ किन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करता है। विकास की मानवीय परत में उभरते ही उसे आत्मबोध की एक नई उपलब्धि हस्तगत होती है वह अनुभव करता है कि काय-कलेवर उसका समग्र स्वरूप नहीं वरन् एक वाहन उपकरण आच्छादन मात्र है। उसके भीतर रहने वाली चेतना ही मनुष्य को ऊंचा उठाती, नीचे गिराती है। मनःस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदाता है। मनुष्य अपने भाग्य निर्माता आप है। वह प्रकृति की कठपुतली मात्र नहीं है। व्यक्तित्व का स्तर उठाकर जीवन सञ्जा को, अनेक उपलब्धियों-विभूतियों से अलंकृत करना भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब तक यह विचारणा नहीं उठती, तब तक वस्तुतः मनुष्य नर-पशु ही रहता है और इंद्रिय लिसाओं और मानसिक तृष्णाओं तक ही उसकी गतिविधियां सीमित रहती हैं, न वह जीवन का महत्व समझ पाता है और न उसे चेतना की पृथकता, विशिष्टता मंबंधी कल्प जान दोता है।

# **संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन**

व्यभिचार अनहैप्पी मैरिज यानी अप्रसन्न विवाह का केस भी नहीं हो सकता, वहाँकि अगर इसे अपराध मानकर केस करेंगे, तो इसका मतलब दुखी लोगों को सजा देना होगा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कानून मनमाना है, महिला की सेक्सुअल चॉइस को यानी उसे यौन विकल्प अपनाने से रोकता है। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने कहा कि यह संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ की महिला न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा ने कहा कि कोई ऐसा कानून जो पती को कमतर आंके, ऐसा भेदभाव संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। एक महिला को समाज की मर्जी के मुताबिक सौचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इन न्यायाधीशों ने यूं ही यह निष्कर्ष भी नहीं दिया है। इसमें अलग-अलग देशों के कानूनों, प्राचीन से लेकर आधुनिक धर्मग्रंथों, संहिताओं आदि को उद्दृत किया गया है। अंग्रेजों के समय भी लॉड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता के पहले दस्तावेज में व्यभिचार को एक दंडनीय अपराध बनाने से इनकार कर दिया था।

सतीश पेडणोकर

www.10min.it



सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई फैसले दिए हैं, जिन पर सधन बहस चल रही है। विवाहेतर यौन संबंधों यानी व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का मामला ऐसा ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को अपराध मानने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया और कहा कि यह महिलाओं की स्वायत्ता और व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाता है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यहां तक कह दिया कि इस प्रावधान ने महिलाओं को पतियों की संपत्ति बना दिया था। किंतु महिलाओं के साथ समानता के अधिकार का समर्थन करने और व्यवहार में उसे जीने वालों ने भी इस फैसले पर चिंता प्रकट की है। चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय का है इसलिए कोई बड़ा व्यक्तित्व सीधे विरोध में नहीं उतरा है, लेकिन वातावरण वैवासा ही है, जैसे समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर रखने के फैसले के समय था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि 497 महिला के सम्मान के खिलाफ है।

महिला को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने को नहीं कहा जा सकता। संविधान की खूबसूरती यही है कि उसमें “मैं, मेरा और मुझ मूर्ति” सभी शामिल हैं। पति कभी भी पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति एम खानिवलकर ने कहा कि ये पूरी तरह से निजता का मामला है। व्यभिचार अनहैप्पी मैरिज यानी अप्रसव विवाह का केस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसे अपराध मानकर केस करेंगे, तो इसका मतलब दुखी लोगों को सजा देना होगा। न्यायमूर्ति डीवाई वंद्रचूड ने कहा कि यह कानून मनमाना है, महिला की सेक्सुअल व्हॉइस को यानी उसे यौन विकल्प अपनाने से रोकता है।

न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने कहा कि यह संविधान के मल

न्यायनूत राहगत नरानन न कहा। कि वह साधारण के नूरों  
अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ की महिला न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा ने  
कहा कि कोई ऐसा कानून जो पत्री को कमतर आंके, ऐसा भेदभाव  
संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। एक महिला को समाज की  
मर्जी के मुताबिक सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इन  
न्यायाधीशों ने यूं ही यह निष्कर्ष भी नहीं दिया है। इसमें अलग-अलग  
देशों के कानूनों, प्राचीन से लेकर आधुनिक धर्मग्रंथों, संहिताओं आदि  
को उद्भृत किया गया है। अंग्रेजों के समय भी लॉड मैकले ने भारतीय  
दंड संहिता के पहले दस्तावेज में व्यभिचार को एक दंडनीय अपराध  
बनाने से इनकार कर दिया था। जिस पृष्ठभूमि में इस कानून को लागू  
किया गया उसे भी साफकिया है। 1860 में जब भारतीय दंड संहिता  
लागू हुई तो एक बड़ी आबादी खासकर हिन्दुओं में तलाक को लेकर  
कोई कानून नहीं था क्योंकि शादी को एक संस्कार माना जाता था।  
1955 तक हिन्दू पुरुष को कई महिलाओं से शादी करने की आजादी

साथ भी खड़ी होगी। ध्यान रखिए, इस मामले के याचिकाकर्ता केरल के अनिवासी भारतीय जो सेफ साइन ने धारा-497 को चुनौती देते हुए कहा था कि कानून लैंगिक दृष्टि से तटस्थ होता है लेकिन इसके प्रावधान पुरुषों के साथ भेदभाव करता है। इसे लैंगिक तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) करने का संविधान पीठ से अनुरोध किया गया था। यानी विवाहेतर संबंध वाले महिला और पुरुष दोनों को अपराध की परिधि में लाया जा सके। कानून को रद्द करने का संदेश यह जा रहा है कि अब विवाहेतर यौन संबंधों को पूरी आजादी मिल गई है। भारत में विवाह आज भी एक संस्कार है। इसमें यौन नैतिकता सवरेपरि है। यदि यह स्तंभ टूट गया तो केवल यौन स्वैच्छिकार को ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, परिवार का विघटन होने लगेगा। हालांकि फैसले में ही कुछ बातें कही गई हैं। जैसे यह तलाक का आधार तो बन सकता है लेकिन अपराध नहीं। अगर इस वजह से पार्टनर खुदकुशी कर ले खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला माना जा सकता है। कोई व्यवहार शादी टूटने का आधार बन सकता है, आत्महत्या का कारण बन सकता है लेकिन उस कृत्य को अपराध नहीं माना जाएगा। इस व्यवस्था पर पुनर्विचार जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि विवाहेतर संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर रखने के वर्तमान और समलैंगिकता को भी मान्य कर देने के फैसले के विरुद्ध अलग-अलग पुनर्विचार याचिकाएं डाली जाएं। फैसले में दीपक मिश्रा ने कहा कि हम मानते हैं कि यहां आपसी रिश्ते कानून से नहीं भावनाओं और सदियों से चली आ रही सामाजिक दायित्व बोध से कायम रहते हैं। किंतु कानून से इन सबको मुक्त करने का भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा और वह नकारात्मक ही होगा।

चलते चलते

‘‘एहजाम वॉरियर’

पराक्षा और उसके परिणाम का दबाव कई विद्यार्थियों के जीवन को असमय लील जाता है। बोर्ड से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद छात्रों की आत्महत्या करने की दुखद खबरें भी सुर्खियों में रहती हैं। साथ में होते हैं उनके दिल बैठा देने वाले सुसाइड नोट। जिनसे हमें पता चलता है कि उन्होंने परीक्षा को ही जिंदगी मान ली थी। आसपास के परिवेश और अभिभावकों का अपने बच्चों पर सफलता का भारी दबाव भी अनहोनी का माहौल रखता है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहीं शिल्पा ठाकुर भी परीक्षा में असफलता का दबाव नहीं झेल पाई, और मौत को गले लगा लिया। वो तीन बार यूपीएससी की परीक्षा दे चुकी थीं। शिल्पा के सुसाइड नोट से तनाव और उसके अकेलापन का पता चलता है। 2012 की

बोर्ड से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद छात्रों की आत्महत्या करने की दुरुवद खबरें भूमि सुरियों में रहती हैं। साथ में होते हैं उनके टिल द्वारा देखे गए समाइड बोट।

काउटर करन तक हा सामत ह  
का सीधा संबंध मानसिक मजबूत  
झेलने से है। और इसी मोर्चे पर  
पड़ जाते हैं। हथियार डाल देते  
मजबूती और असफलता का दब  
ताकत; कोई शार्ट टर्म कोर्स नहीं है  
घर की परवारिश से लेकर स्कूल  
चलनी चाहिए। इसके लिए बकाय  
तैयार करना होगा। जो छात्रों के नैस  
में भागीदार बने। किसी छात्र का  
सिर्फ उस अंकेले छात्र की असफ  
बल्कि उस परवारिश और उस शिक्षा  
की भी घोर असफलता है, जो उसे  
से आंखें मिला पाने का मजबूत दिल  
भी नहीं दे पाती। उसे इतना भर न  
कि असफलता ही सफलता का दर  
है। लिहाजा हमें बच्चों को इसके  
करना होगा। यही एकमात्र हल है।

इच्छा मृत्यु की मांग

ठाकुरद्वारा मेरहने वाले वयोवृद्ध बौलालाद दपति नारायण लावते (88) और उनकी पत्नी इरावती (78) ने पिछले दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। वजह उन्हें लगता है कि समाज के लिए या खुद अपने लिए अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। वे अपनी देखभाल भी खुद नहीं रख सकते। दंपति ने अपनी याचिका में अपना बचा हुआ धन राज्य के कोषबागर में जमा कराने का वादा भी किया है। उन्होंने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी गंभीर रोग से उनके ग्रसित होने तक उन्हें मृत्यु का इंतजार करने के लिए मजबूर करना अनुचित है। बता दें कि इरावती स्कूल प्रिंसिपल रह चुकी हैं, जबकि नारायण पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं। इसी तरह बरेली में रहने वाली मेरी दूर की एक रिश्तेदार 68 साल की मालती का भी जीवन से मोहभंग हो चुका है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उत्तर-चढ़ाव देखे हैं; लेकिन बुढ़ापे में अपनों ने जो दर्द दिया, उसे वह ताउप्र नहीं भूल सकतीं। उनके पाति अच्छी सरकारी नौकरी में थे। दस साल पहले रिटायर होने के बाद पीएफकी रकम से उन्होंने एक मकान बनवाया ताकि जिंदगी की दूसरी पारी अपने घर में सुकून से बीत सके। अपने दोनों बेटों को कारोबार के लिए भी पैसे दिए और बेटी की अच्छी शादी भी की लेकिन चार साल पहले परि

A red train car with white lettering and a yellow hazard sign is parked in front of a snow-covered mountain.

## फोटोग्राफी...

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में केलोंग के बारा-लाचमार्ग पर भारी हिमपात के कारण यातायात ठप हो गया।



## जीएसटी कलेवशन में वृद्धि, सितंबर में बढ़कर 94,442 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। जीएसटी संग्रह सितंबर में बढ़कर 94,442 करोड़ रुपए रहा। इससे पिछले महीने में यह 93,690 करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह कहा। मंत्रालय के अनुसार सितंबर महीने में 67 लाख माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल किए गए। कुल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 15,318 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 21,061 करोड़ रुपए, एकीजीएसटी 50,070 करोड़ रुपए (आयत से 25,308 करोड़ रुपए का सग्रह शामिल) और रेग्युलेटर 7,993 करोड़ रुपए रहा है। उपकर में 765 करोड़ रुपए आयत पर किया गया संग्रह शामिल है। मंत्रालय ने कहा, “केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कुल राज्य सितंबर 2018 में सीजीएसटी 30,574 करोड़ रुपए तथा एसजीएसटी 35,015 करोड़ रुपए रहा है।”

**नीरव मोदी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, जल की 637 करोड़ की संपत्ति**



भारत एवं चार अन्य देशों में 637 करोड़ रुपए की संपत्ति जल कर ली है। जल की संपत्ति में प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स शामिल हैं। के तहत ईडी ने न्यूरॉक मीरवर की 216 करोड़ रुपए मूल्य की 2 अचल संपत्ति जल की है। ऐसे बहुत ही कम मामले हैं, जिनमें भारतीय एजेंसियों ने किसी आपराधिक जांच के सिलसिले में विदेश में किसी आरोपी की संपत्तियां जल की हैं। वहीं, इस मामले में ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को धन योधन रोकथाम अधिनियम के तहत जारी पाच विभिन्न अदादों के तहत जल किया गया है। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी और उसका चाचा भेदभाल चोकसी पीएमी घोषाल मामले में मुख्य आरोपी हैं फिलाल, नीरव और चोकसी दोनों ही देश से फारह हैं।

**वोट आईडी से जोड़ा जाएगा आधार, आयोग ने शुरू की तैयारी**

नई दिल्ली। भारत के मुख्य चुनाव आयुक ओपी रावत ने कहा कि सुरीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद मतदाता पहचान पत्र (बोटर आईडी) को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया आदेश के अनुरूप दोबारा शुरू की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक ने कहा कि निवाचन आयोग के सचिवालय को आधार और चुनावी राजीती को अपराधमुक्त करने संबंधी सुरीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के तहत कहा गया है। आधार को सुरीम संबंधी द्वारा वैध करार देने के बाद वोटर आईडी से जोड़ने के सबल पर उद्देशन कहा गया। यह परियोजना, अदालत में अधार का मामला विधायकान्होंने के कारण रोकी पड़ी थी। अब फैसले के अध्ययन के बाद अदालत के आदेश के अनुरूप इसे पर से शुरू किया जा सकता। रावत ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटीन बनाने के लिए फटवरी 2015 में अधार से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने की योजना शुरू की गई। अगस्त 2015 में अधार की वैधता से जुड़ा मामला संबंधी अदालत पहुंच गया। तब तक लगभग 33 करोड़ मतदाता पहचान पत्र आधार से पहले पुरा करने के सबल पर उद्देशन कहा गया जो योजना को शुरू करने भर की देर है। काम के व्यापारीश्वर पुरा करने की कोशिश होगी। देखें हैं कि कितना समय लगता है। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के बारे में सुरीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के संबंध में रावत ने कहा कि आयोग इस फैसले का भी अध्ययन कर देंगे यथागत लागू करने के उपयोग करेगा। न्यायालय ने अपने फैसले में उम्मीदवारों को उनके खिलाफ चल देने आपराधिक मामलों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं तक पहुंचने को कहा था।

**लगातार तीसरे महीने घटी मारुति की बिक्री**

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुनुजी की याची कारों की बिक्री में सितंबर में लगातार तीसरे महीने पिराट दर्ज की गयी। कंपनी ने सोमवार को बिक्री की कुल बिक्री भी लगातार तीसरे महीने घटी है। कंपनी ने सोमवार को बिक्री की छोटी कारों की बिक्री घटने से सितंबर में उसकी याची कारों की बिक्री 1.4 प्रतिशत घटकर 1,228 इकाई रह गयी है। पिछले साल सितंबर में यह 1,16,886 इकाई रही थी। छोटी कारों की बिक्री 9.1 प्रतिशत कम होकर 34,971 इकाई रह गयी। वहीं, कार्पोरेट कारों की बिक्री 1.7 प्रतिशत बढ़कर 74,011 पर और मिडायल एस एकाउंट कारों की 11.5 प्रतिशत बढ़कर 6,246 पर पहुंच गई। याची वाहनों की कुल घेरेलू बिक्री 0.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,51,512 इकाई रही। याची वाहनों में कारों के साथ उत्तरायणी वाहन और बैन आते हैं। इसमें उत्तरायणी वाहनों की बिक्री 8.7 प्रतिशत बढ़कर 21,639 पर और बैनों की 6.6 प्रतिशत बढ़कर 14,645 पर पहुंच गई।

## सेवा क्षेत्र में खुलापन वृद्धि में मददगार

आईएमएफ, विश्वबैंक और डब्ल्यूटीओ की एक संयुक्त ताजा रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया गया है कि 1990 के दशक में भारत में किए गए सुधार से अधिक विश्वासी व्यापार सेवाओं का विकल्प मिला है। इससे उहाँ नए - नए कारोबार और प्रौद्योगिकी में निवेश करने से जुड़ी विनिर्माण इकाइयों के पास घेरेलू उदार नीति लंबे समय में वृद्धि में लेने के विकल्प बढ़ गए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को

## बढ़ रही है रिटर्न नहीं फाइल करने वालों की संख्या

### नई दिल्ली।

बस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकृत करदाताओं की संख्या लेकिन इनमें से 73.15 प्रतिशत ने तो बढ़ रही है लेकिन साथ ही रिटर्न दाखिल किया गया है। नींजीएसटी करने वाले करदाताओं की संख्या भी इंडिया हुआ है। पिछले साल 01 जुलाई से देश भर में अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जीएसटी (एसजीएसटी) 15,318 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 21,061 करोड़ रुपए, एकीजीएसटी 50,070 करोड़ रुपए (आयत से 25,308 करोड़ रुपए का सग्रह शामिल) और रेग्युलेटर 7,993 करोड़ रुपए रहा था। उपकर में 765 करोड़ रुपए आयत पर किया गया संग्रह शामिल है। मंत्रालय ने कहा, “केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कुल राज्य सितंबर 2018 में सीजीएसटी 30,574 करोड़ रुपए तथा एसजीएसटी 35,015 करोड़ रुपए रहा है।”

**नीरव मोदी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, जल की 637 करोड़ की संपत्ति**



### बिजनेस ड्रेक।

तेल की आसमान छहीं की कीमतों के बीच 1 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दामों के बीच 216 करोड़ रुपए मूल्य की 2 अचल संपत्ति जल की है। ऐसे बहुत ही कम मामले हैं, जिनमें भारतीय एजेंसियों ने किसी आपराधिक जांच के सिलसिले में विदेश में किसी आरोपी की संपत्तियां जल की हैं। वहीं, इन महीने तक जल की होती है। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों को हर महीने रिटर्न दाखिल करना होता है और इसके रिटर्न दाखिल कर दिया है। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों को अब विमानी रिटर्न भरना होता है जिसकी अंतिम विधि तामाही समाप्त होने के बाद एक महीने तक जल होती है। नवंबर 2017 के लिए 8.60 प्रतिशत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। इस देश में पंजीकृत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। इस देश में पंजीकृत 88.60 प्रतिशत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। इस देश में पंजीकृत करदाताओं ने अब तक 31 अक्टूबर तक भरे जाने हैं और इसलिए वाले वालों को अप्रत्यक्ष कर दिया है। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों को अब विमानी रिटर्न भरना होता है। नवंबर 2017 के लिए 8.60 प्रतिशत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। इस देश में पंजीकृत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। इस देश में पंजीकृत करदाताओं ने अब तक 31 अक्टूबर तक भरे जाने हैं और इसलिए वाले वालों को अप्रत्यक्ष कर दिया है। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों को अब विमानी रिटर्न भरना होता है। नवंबर 2017 के लिए 8.60 प्रतिशत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। इस देश में पंजीकृत करदाताओं ने अब तक 31 अक्टूबर तक भरे जाने हैं और इसलिए वाले वालों को अप्रत्यक्ष कर दिया है। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों को अब विमानी रिटर्न भरना होता है। नवंबर 2017 के लिए 8.60 प्रतिशत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। इस देश में पंजीकृत करदाताओं ने अब तक 31 अक्टूबर तक भरे जाने हैं और इसलिए वाले वालों को अप्रत्यक्ष कर दिया है। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों को अब विमानी रिटर्न भरना होता है। नवंबर 2017 के लिए 8.60 प्रतिशत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। इस देश में पंजीकृत करदाताओं ने अब तक 31 अक्टूबर तक भरे जाने हैं और इसलिए वाले वालों को अप्रत्यक्ष कर दिया है। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों को अब विमानी रिटर्न भरना होता है। नवंबर 2017 के लिए 8.60 प्रतिशत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। इस देश में पंजीकृत करदाताओं ने अब तक 31 अक्टूबर तक भरे जाने हैं और इसलिए वाले वालों को अप्रत्यक्ष कर दिया है। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों को अब विमानी रिटर्न भरना होता है। नवंबर 2017 के लिए 8.60 प्रतिशत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। इस देश में पंजीकृत करदाताओं ने अब तक 31 अक्टूबर तक भरे जाने हैं और इसलिए वाले वालों को अप्रत्यक्ष कर दिया है। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों को अब विमानी रिटर्न भरना ह

